

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1749]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 2014/भाद्र 14, 1936

No. 1749]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 2014/BHADRA 14, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2014

का.आ. 2237(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिसूचना के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 8 के लिए अनुसूची में और इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

तालिका

(1)	(2)	(3)
"8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21 ए, सं. 22 [किमी 5.735 से किमी 10.890 और किमी 40.000 से	हरियाणा राज्य
	किमी 62.200 तक (पंजाब/हरियाणा सीमा-हरियाणा/हिमाचल सीमा) छोड़कर], सं. 64,	सरकार"
	सं. 65 {किमी 5.000 से किमी 241.580 (अंबाला-कैथल-नरवाना-हिसार-हरियाणा सीमा)	
	तक छोडकर} सं. 71, [किमी 239.000 से किमी 450.800 (पंजाब/हरियाणा सीमा- जींद-	

3514 GI/2014 (1)

रोहतक-बावल खंड) तक छोड़कर], सं. 71 ए [िकमी 0.000 से िकमी 80.858 (रोहतक-पानीपत) तक छोड़कर], नई सं. रारा 709 का विस्तार (िभवानी, लोहानी, लोहारी को जोड़ते हुए रारा 9 (नई सं.) पर रोहतक तक), सं. 71 बी, सं. 72, सं. 73 [िकमी 71.640 से िकमी 179.285 (उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा- यमुनानगर-साहा-बरवाला-पंचकुला) तक छोड़कर] सं. 73ए, नई रारा सं.11, नई रारा सं. 54, नई रारा सं. 248 ए, नई रारा सं. 334 बी और नई रारा सं. 703 का भाग जो हरियाणा राज्य में अवस्थित है।

[फा. सं. एनएच-14013/11/2014-पीएंडएम] माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना को संख्या का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार इसमें संशोधन संख्या का.आ. 1893(अ) तारीख 24 जुलाई, 2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2014

S.O. 2237(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
"8	So much of National Highways No. 21A, No.22 [excluding from Km. 5.735 to Km.	State
	10.890 and from Km. 40.000 to km. 62.200 (Punjab/Haryana Border-Haryana/Himachal	Government of
	Border)], No.64, No.65 {excluding from km. 5.000 to km 241.580 (Ambala-Kaithal-	Haryana."
	Narwana-Hissar-Hayana/Rajasthan Border)}, No.71 [excluding from km.239.00 to km.	
	450.800 (Punjab/Haryana border-Jind-Rohtak-Bawal section)], No. 71A [excluding from	
	km.0.000 to km.80.858 (Rohtak-Panipat), extension of new No. NH 709 (from Rohtak on	
	NH-9 (new number) connecting Bhiwani, Lohani, Loharu), No. 71B, No.72, No.73	
	[excluding From km.71.640 to km.179.285 (Uttar Pradesh/Haryana Border-	
	Yamunanagar-Saha-Barwala-Panchkula)], No. 73A, new NH No. 11, new NH No. 54,	
	new NH No. 248A, new NH No. 334B and new NH No. 703 as are situated within the	
	State of Haryana.	

[F. No. NH-14013/11/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: The principal notification was published *vide* number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 1893(E), dated the 24th July, 2014.